बिहार राज्य स्थित चीनी मिलों के प्रबंधन एवं कामगारों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं के आलोक में बिहार स्थित चीनी मिलों के कामगारों को सुविधा दिये जाने के संबंध में दिनांक 09/01/2017 को श्रमायुक्त–सह–समझौता पदाधिकारी, बिहार के द्वारा सम्पन्न कराये गये समझौता के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 11/09/2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

प्रबंधन पक्ष

1. श्री एस0एल0 बहिटी – हरि नगर सुगर मिल
2. श्री एन0 भट्ठ – सचिव, बी0एस0एम0ए0
3. श्री रामानन्द वर्मा – रिगा सुगर
4. श्री एम0एल0 सिंह – बी0एस0एम0 सिधवलिया
5. श्री ए0पी0 भुल – भी0एस0एम0 गोपालगंज
6. श्री अमित शिवम – एच0पी0सी0एल0 बायोफ्यूल्स
7. श्री राकेश शरण – सुगौली चीनी मिल
8. श्री अरूण कुमार – तिरूपति सुगर मिल, बगहा
9. श्री रामजी सिंह – मंझौलिया सुगर मिल
10. श्री रवि सिंह – हसनपुर सुगर मिल

कामगार पक्ष

1. श्री चन्द्र प्रकाश सिंह – इंटक, अध्यक्ष
2. श्री नथुनी पाण्डेय – महामंत्री, मोतिहारी चीनी मिल मजदूर संघ
3. श्री अधनू यादव – महामंत्री, एच0एम0एस0 बिहार
4. श्री ताहीर हुसेन – महामंत्री, गोपालगंज सुगर लेबर यूनियन
5. श्री लक्ष्मण शर्मा – भारत सुगर मिल्स लेबर यूनियन सिधवलिया
6. श्री रविन्द्र कुमार सिंह – महामंत्री, मंझौलिया चीनी लेबर यूनियन

सरकार पक्ष

1. श्री मोहन राम – ईखायुक्त के प्रतिनिधि
2. डॉ0 बीरेन्द्र कुमार – संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार

सर्वप्रथम त्रिदलीय स्थायी समिति(चीनी) की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। निदेशित किया गया की प्रबंधन पक्ष एवं कामगार पक्ष के सदस्यों को आगे से जब भी बैठक हेतु आमंत्रित किया जाए तो नाम से नहीं अपितु पदनाम से आमंत्रित किया जाए। इस बैठक का एकमात्र एजेण्डा यह है कि दिनांक 09/01/2017 को सम्पन्न त्रिदलीय(चीनी) बैठक में जो निर्णय लिया गया

था कि उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर बिहार के चीनी मिल मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जायेगा, उसकी वर्तमान अनुपालन की स्थिति क्या है।

प्रबंधन पक्ष– द्वारा त्रिदलीय समझौते के आलोक में बकाया भुगतान के संबंध में निम्न प्रकार से स्थिति स्पष्ट की गई :–

क्र०सं०	सुगर मिल का नाम	बकाया भुगतान के संबंध में की गई कार्रवाई
1	हरिनगर सुगर मिल, रीगा	मुख्य महा प्रबंधक, हरिनगर सुगर मिल लि० के पत्र दिनांक 07.09.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं के आलोक में दिनांक 09.01.2017 को हुए समझौते के अनुसार कार्रवाई की जा चूँकि है और जो बाकी देय है वह भी निर्धारित समय पर दे दिया जायेगा।
2	मगध सुगर, नरकटियागंज	मगध सुगर एवं एनर्जी लि० के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 11.09.2017 द्वारा दिये गये पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि प्रथम एक तिहाई (जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक के लिए) कामगारो को ₹29,25,583 का भुगतान एवं द्वितीय तिहाई (अप्रैल 2017 से जून 2017 तक के लिए) ₹30,22,437 का भुगतान कर दिया गया है।
3	मंझौलिया सुगर मिल, मंझौलिया	निदेशक, मंझौलिया सुगर इंडस्ट्रीज प्रा० लि० के पत्र दिनांक 30.08.2017 द्वारा सूचित किया गया कि 1. अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2016 तक यानि 03 महीनों के वेतन बढ़ोतरी राशि का भुगतान जनवरी 2017 के वेतन भुगतान के साथ कर दिया गया है। 2. चार किश्तों में होनी वाली बकाया के पहली किश्त का भुगतान मार्च 2017 में कर दिया गया। 3. दूसरे किश्त का भुगतान जून 2017 में कर दिया गया। 4. तीसरे किश्त का भुगतान सितम्बर 2017 में होना है, तथा 5. चौथे किश्त का भुगतान दिसम्बर 2017 में होना है।
4	रीगा सुगर मिल	श्री राम नन्दन वर्मा, ए०जी०एम०, एच०आर० एवं एडमिन द्वारा सूचित किया गया है कि प्रथम किस्त में ₹51,25,141 एवं द्वितीय किस्त में ₹62,64,551 का भुगतान कर दिया गया है।
5	विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज	महाप्रबंधक, विष्णु सुगर मिल लि० के पत्रांक–27/2017–18/697 दिनांक 09.09.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि 1. कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 2013 से समझौते के अनुसार फिटमेन्ट एवं पे फिक्सेशन कर दिया गया है। 2. दो किस्तो में ऐरियर का भुगतान समझौते के अनुसार कर दिया गया है।
6	मगध सुगर मिल, सिधवलिया	कार्यकारी अध्यक्ष, भारत सुगर मिल्स के पत्रांक–एल०/269/2017–18 दिनांक 09.09.17 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 09.01.17 को हुए समझौते के अनुसार मार्च 2017 एवं जून 2017 के लिए दो किस्तों में कर्मचारियों के एरियर का भुगतान कर दिया गया है।

7	तिरुपती सुगर मिल, बगहा, प० चम्पारण	वाई०एस० भटनागर, महाप्रबंधक, कार्मिक तिरुपती सुगर लि०, बगहा, प० चम्पारण द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 11.09.2017 में उल्लेख किया है कि चौथे वेज बोर्ड के अनुसार एरियर का भुगतान तीन किस्तो में ससमय कर दिया गया है। त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार चौथे किस्त का भुगतान दिसम्बर, 2017 में कर दिया जाएगा।
8	हसनपुर सुगर मिल	रवि कुमार सिंह, महाप्रबंधक द्वारा दिये गये तालिका के अनुसार कुल एरियर रकम ₹10,746,213.00 में से दिनांक 11.04.2017 को प्रथम किस्त के रुप में ₹26,86,580.00 तथा दिनांक 29.06.2017 को द्वितीय किस्त के रुप में ₹26,86,580.00 और दिनांक 30.09.2017 को तृतीय किस्त के रुप में ₹26,86,580.00 कर दिया गया है एवं दिनांक 31.12.2017 को चौथे किस्त के रुप में ₹26,86,473.00 का भुगतान कर दिया जायेगा।
9	एचपीसीएल बॉयोफ्यूल्स लिमिटेड	राजेश कुमार चावडा, मुख्य परिचालन अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या–एच०बी०एल०/एचआर/पटना/17–18/153. दिनांक 11.09.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि त्रिदलीय स्थायी समिति की समझौता बैठक के अनुरुप प्रबंधन ने हमारे अधीन लौरिया एवं सुगौली इकाइयों के कर्मचारियों का संशोधित वेतनमान दिनांक 01.08.2017 से लागू एवं भुगतान कर दिया गया है। कुछ आर्थिक परेशानी के वजह से कमचारियों के बकाए राशि का भुगतान प्रबंधन द्वारा ससमय नहीं किया जा सका। समस्त कर्मचारियों के बकाये राशि का भुगतान दो हिस्सों मे दिसम्बर, 2017 तक कर दिया जायेगा।

सासामूसा, सुगौली एवं लौरिया चीनी मिल में कार्यरत कामगारों को अभी तक कोई भुगतान प्राप्त नही हुआ है। सासामूसा के प्रबंधन की तरफ से बैठक में कोई उपस्थित नहीं हुए। सुगौली एवं लौरिया चीनी मिल के प्रबंधन के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की गणना का काम पूरा कर लिया गया है, बहुत जल्द ही सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जायेगा।

जिन चीनी मिल प्रबंधन से भुगतान नहीं किया गया है अथवा जिनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए हैं, श्रमिक के प्रतिनिधियों के मांग पर उन्हें श्रमायुक्त द्वारा निदेशित किया गया :–

(1) नोटिस भेजा जाय की वे 07 दिनों के भीतर अपना जंवाब समर्पित करें कि पिछली बैठक के समझौते के अनुरूप क्यों नहीं अब तक भुगतान किया गया है।

(2) नोटिस में इस बात का भी उल्लेख हो कि अगली बैठक के पूर्व 12 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया मजदूरी का समझौते के अनुसार निर्धारित तिथि/तिमाही से गणना कर का भुगतान किया जाय एवं अगली बैठक में उपस्थित हों तो प्रत्येक कर्मी का भुगतान से संबंधित चार्ट भी उपलब्ध करायेंगे।

मंझौलिया चीनी मिल को सूची में शामिल नहीं किया गया है। उपस्थिति प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इसे भी सूची में भामिल कर लिया जाय। निदेशित किया गया की सभी मिल प्रबंधक अपने यहां मान्यता प्राप्त यूनियन का नाम उपलब्ध करावें ताकि बैठक में उन्हें भी भामिल किया जा सके।

10

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, अध्यक्ष, इंटक बिहार द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश के नोटिफिकेशन में बेजेज के अलावा अन्य बातों को बिहार में चीनी मील प्रबंधकों द्वारा नहीं लागू किया जा रहा है यथा छुट्टी, इनक्रीमेंट, प्रोन्नति आदि। श्रमायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि इस संबंध में प्रबंधन पक्ष एवं कामगार पक्ष एवं ईखायुक्त के प्रतिनिधि विस्तृत तुलनात्मक विवरणी आकड़ो/तथ्यों/प्रमाण के साथ अगली बैठक के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करें। ताकि दोनो पक्षों से प्राप्त विवरणी एक दूसरे को उपलब्ध कराया जा सकें।

25/09/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–121/2010– 5183 पटना, दिनांक– 25.09.17

प्रतिलिपि– मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/09/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–121/2010– 5183 पटना, दिनांक– 25-9-17

प्रतिनिधि– बैठक में उपस्थिति प्रबंधन पक्ष/कामगार पक्ष एवं ईखायुक्त के सभी प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

25/09/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–3/डी–121/2010– 5183 पटना, दिनांक– 25-9-17

प्रतिनिधि– आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

25/09/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।